ह्यूमन टिशू अथॉरिटी (मानवीय ऊतक प्राधिकरण) **Human Tissue Authority**

जीवित दानकर्ता ट्रांसप्लांट से संबंधित जानकारी

इस पुस्तिका में जीवित व्यक्तियों द्वारा शरीरांग दान करने से संबंधित जानकारी दी गई है, तथा निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है:

- ह्यूमन टिशू अथॉरिटी की भूमिका
- जीवित दानकर्ता ट्रांसप्लांटों की आवश्यक्ता
- जीवित दानकर्ता ट्रांसप्लांटों के विभिन्न विकल्प
- स्वतंत्र अवलोकन (Independent Assessment) प्रक्रिया

हमारी सिफ़ारिश है कि आप इस सूचना को उस सूचना के साथ मिलाकर पढ़ें जो आपके ट्रांसप्लांट यूनिट ने आपको दी है। ऐसा करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आप दोनों, यानी दानकर्ता और प्राप्तकर्ता को क्या करना चाहिये।

ह्यूमन टिशू अथॉरिटी (मानवीय ऊतक प्राधिकरण) की भूमिका

ह्यूमन टिशू ऐक्ट 2004, जिसको 'एचटी ऐक्ट' भी कहते हैं, यह ऐक्ट इंगलैंड, वैल्ज़ और नॉरदर्न आयरलैंड में शरीरांग दान करने वालों के लिये क़ानूनी रूपरेखा मुहैया करता है। स्कॉटलैंड में यह रूपरेखा ह्यूमन टिशू (स्कॉटलैंड) ऐक्ट 2006 के अंतर्गत उपलब्ध है।

ह्यूमन टिशू अथॉरिटी (एचटीए), ह्यूमन टिशू ऐक्ट के बारे में सलाह तथा सूचना देती है, और यह निर्णय लेती है कि यूके में जीवित व्यक्तियों द्वारा शरीरांग दान करने के केसों को अनुमति दी जानी चाहिये या नहीं। एक दृढ़ प्रक्रिया लागू है जिसके द्वारा दानकर्ताओं तथा प्राप्तकर्ताओं को आश्वासित किया जाता है कि ट्रांसप्लांट के केसों की पड़ताल स्वतंत्र रूप से की जाएगी। इस प्रक्रिया द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि दानकर्ता यह जान ले कि दान करने में क्या-क्या रिस्क हैं, यह देखा जाता है कि दानकर्ता किसी दबाव में तो नहीं है, और उसको किसी प्रकार का लोभलालच तो नहीं दिया जा रहा है।

जीवित दानकर्ता ट्रांसप्लांट क्यों?

ट्रांसप्लांट की आवश्यक्ता तब पड़ती है जब महत्वपूर्ण शरीरांग काम करना बंद करदें, जिसके कारण ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएं जो जीवनघातक हों।

ऐतिहासिक रूप से ट्रांसप्लांट के लिये अंगों का दान मृत व्योक्तियों से लिया जाता था, परंतु ट्रांसप्लांट योग्य अंगों की आवश्यक्ता बढ़ती जा रही है, और आपूर्ति (सप्लाई) इतनी नहीं है कि मांग पूरी की जासके। यूके में गुर्दे के जितने भी ट्रांसप्लांट किये जाते हैं उनमें से एक तिहाई से ज़्यादा जीवित व्यक्तियों द्वारा दान किये गए गुर्दों के ट्रांसप्लांट होते हैं।

गुर्दे ऐसे सर्वाधिक अंग हैं जिन्हें जीवित लोग दान करते हैं, और इस प्रकार के ट्रांसप्लांट कि सफलता की दर भी बहुत ज़्यादा है। दान करने से पहले दानकर्ता की कड़ी मेडिकल जांच की जाती है। गुर्दा दान देने में एक बड़ा आप्रेशन करना पड़ता है जिसमें कुछ (परंतु परिणाम की दृष्टि से बड़ा) जोखिम है, इसलिये दानकर्ता के लिये आवश्यक है कि वह जोखिमों को अच्छी तरह समझ ले। यदि किसी व्यक्ति का

अवलोकन करके यह निर्णय लिया गया है कि वह स्वस्थ है और गुर्दा दान कर सकता है तो दीर्घकाल में दानकर्ता के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

जिगर (लीवर) के लोब्स (lobes) यानी कलेजी के कुछ अंश भी दान दिये जा सकते हैं, परंतु इस तरह के दान आम नहीं है। लीवर के कुछ अंश दान करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिये दानकर्ता को जो रिस्क हैं उनपर बहुत ध्यान से विचार किया जाना चाहिये।

अंग दान करने वाले जीवित लोगों से और किसी प्रकार का अंगदान नहीं लिया जाता।

आपका स्थानीय ट्रांसप्लांट यूनिट आपको अधिक जानकारी देकर बता सकता है कि आपके लिये किस तरह के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, ताकि आप पूरी तरह समझ लें कि आपको क्या करना चाहिये। दानकर्ता संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह ट्रांसप्लांट के समय तक दान करने का निर्णय वापिस ले सकता है।

जीवित दानकर्ता ट्रांसप्लांटों के लिये किस तरह के विकल्प उपलब्ध हैं?

कोई भी स्वस्थ व्यस्क जीवित दान के लिये चुना जा सकता है।

- किसी व्यक्ति विशेष के लिये दान, जिसे डाइरेक्टेड डोनेशन (Directed donation) कहते हैं। यह एक प्रकार का दान है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति किसी ऐसे इंसान को अपना अंगदान करता है जिसकी पहचान कर ली गइ है। इस तरह का दान सामान्यत: उन लोगों के बीच होता है जिनके आपस में आनुवंशिक (जेनेटिक) या भावनात्मक संबंध हैं, परंतु ह्यूमन टिशू अथॉरिटी (एचटीए) उन लोगों के केसों पर भी विचार कर सकती है जिनके बीच पहले से कोई संबंध न हो।
- दो या उससे अधिक जोड़ियों के बीच दान जिसे पेयर्ड ऐंड पूल्ड डोनेशन (Paired & pooled donation) कहते हैं। यह एक प्रकार का दान है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से मेल नहीं खाता जिसे वह दान देना चाहता है, परंतु यह संभव है कि उसका दान किसी अन्य जोड़ी (दान देने वाले और लेने वाले व्यक्ति) से मेल किया जा सके, तथा जिनकी परिस्थिति दान देने वाली जोड़ी की परिस्थिति जैसी हो, और दान किये जाने वाले गुर्दे अदला-बदली किये जा सकते हों। जब दो जोड़ियां शामिल हों तो इसको पेयर्ड डोनेशन (pared donation) कहते हैं (नीचे चित्र नंबर 1 देखें) परंतु जब दो से ज़्यादा जोड़ियां शामिल हों तो इसको पूल्ड डोनेशन (pooled donation) कहते हैं।

चित्र **1 - Paired donation**

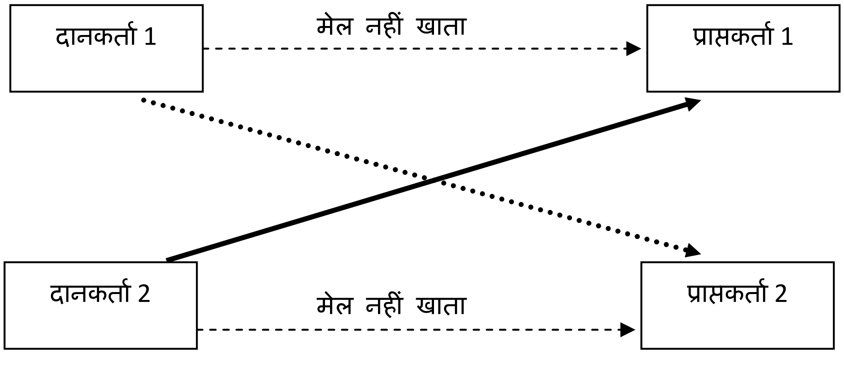

- किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बल्कि मानवता के आधार पर दान देना, जिसे नॉन-डाइरेक्टेड आलट्रुइस्टिक डोनेशन (Non-directed altruistic donation) कहते हैं। यह एक प्रकार का दान है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के लिये गुर्दा दान करता है जिसकी पहचान नहीं की गई है और दानकर्ता जिसे जानता नहीं है।
- किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बल्कि मानवता के आधार पर दान की कड़ियां (चेंस), जिसे नॉन-डाइरेक्टेड आलट्रुइस्टिक डोनर चेंस (Non-directed altruistic donor chains) कहते हैं (नीचे चित्र नंबर 2 देखें) । यह एक प्रकार का दान है जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बल्कि मानवता के आधार पर अपना गुर्दा दान करता है, और यह गुर्दा जोड़ियों की स्कीम/पूल्ड-स्कीम में जाता है। दान करने वाले और दान प्राप्त करने वाली दो या दो से ज़्यादा जोड़ियों के गुर्दे यदि एकदूसरे से मेल खाते हैं तो कई ऑप्रेशन एक साथ किये जा सकते हैं। कड़ी (चेन) के अंत में बचा गुर्दा राष्ट्रीय वेटिंग लिस्ट में से किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया जाता है जिससे वह गुर्दा मेल खाता हो। (यह नीति 2012 से लागू होगी)

चित्र **2 - Altruistic donor chains**

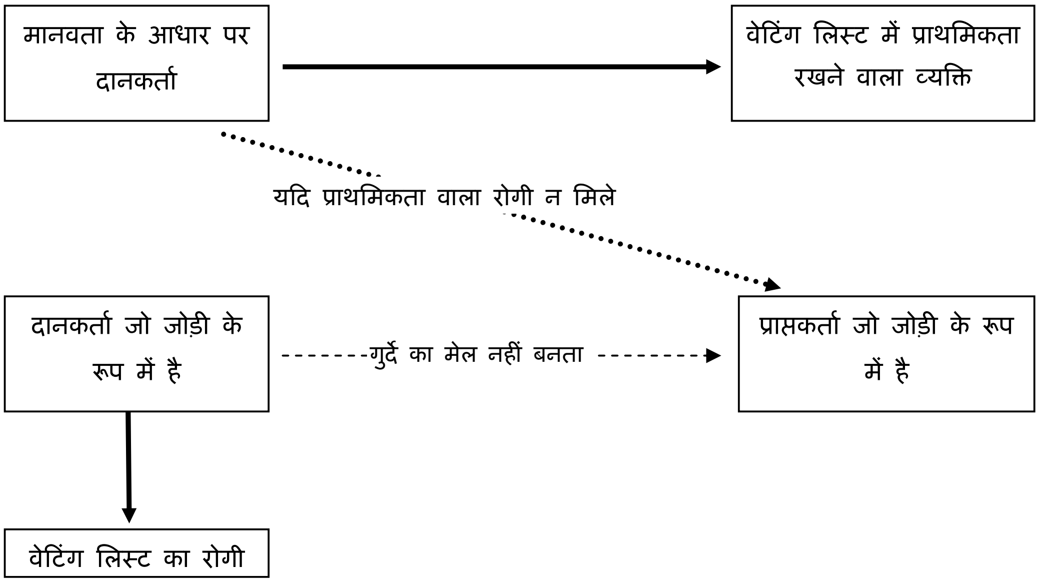

स्वतंत्र अवलोकन (Independent Assessment) की प्रक्रिया: इसमें क्या होता है?

तमाम दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिये आवश्यक है कि वह एक स्थानीय स्वतंत्र असेसर (अवलोकन करने वाले स्वतंत्र व्यक्ति) से मिलें, जो प्रशिक्षित तथा ह्यूमन टिशू अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त होता है। स्वतंत्र असेसर हमारी ओर से दानकर्ता और प्राप्तकर्ता का इंटरव्यू लेगा, परंतु ट्रांसप्लांट करने वाली हेल्थकेयर टीमों से असेसर का कोई संबंध नहीं होता। इंटरव्यू में यह सुनिश्चित किया जाता है कि दानकर्ता को किसी प्रकार का इनाम नहीं दिया जा रहा है, तथा दानकर्ता और प्राप्तकर्ता पर ट्रांसप्लांट के लिये किसी प्रकार का दबाव नहीं है, और दानकर्ता तमाम जोखिमों को अच्छी तरह समझ गया है। आंकलन करने के बाद असेसर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट ह्यूमन टिशू अथॉरिटी को भेजेगा। यह रिपोर्ट केस से संबंधित निर्णय लेने में प्रयोग की जाएगी।

नोट

यदि एचटीए की शर्तें पूरी नहीं की गईं तो ट्रांसप्लांट के लिये दो जीवित व्यक्तियों का ऑप्रशन करना एक अप्राध है। इसका मतलब यह है कि सही आज्ञा लेना ज़रूरी है। शरीरांगों को खरीदना और बेचना भी एक अप्राध है। इन अप्राधों की सज़ा तीन साल का कारावास, अर्थदंड या दोनों एक साथ दिये जा सकते हैं।

अतिरिक्त सूचाना

यह पुस्तिका केवल मार्गदर्शन के लिये है। एचटीए से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिये वेबसाइट www.hta.gov.uk देखें या निम्नलिखित से संपर्क करें।

Human Tissue Authority

151 Buckingham Palace Road

London

SW1W 9SZ

फ़ोन: 020 7269 1900

फ़ैक्स: 020 7269 1999

ट्वईटर: twitter.com/#!/HTA_UK

वेबसाइट: www.facebook.com/HumanTissueAuthority

यह पुस्तिका हमारी वेबसाइट पर वैल्श, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, हिन्दी और बंगाली में भी उपलब्ध है।

नवीनीकरण: अकतूबर 2011
प्रकाशित की गई: नवंबर 2011

मुद्राधिकार: ह्यूमन टिशू अथॉरिटी